ज्ञापांक-14/एम 2-198/2005/1977 (14) स्वा०, पटना, दिनांक 14.08.2006

बिहार सरकार
स्वास्थ्य एवं प०क० विभाग

संकल्प

विषय : विभिन्न रोगों की वहिर्वासी चिकित्सा अनुमान्य करने के सम्बंध में।

वर्तमान में राज्य. कर्मियों को वहिर्वासी रोगी के रूप में चिकित्सा होने पर बाहर से क्रय की गई आवश्यक औषधियों की कीमत की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा नहीं की जाती है बल्कि इस व्यय के लिए कर्मियों को निश्चित रकम (रु० 100/-) प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता के रूप में भुगतान किया जाता है। अपवाद स्वरूप संकल्प संख्या 666 (6) दिनांक 16.05.90 के द्वारा मात्र यक्ष्मा, कैंसर एवं कुष्ठ रोगों के लिए तथा संकल्प सं० 5257 (2) दिनांक 8.12.94 के द्वारा हृदय की शल्य चिकित्सा एवं गुर्दा प्रत्यारोपण के बाद और संकल्प सं० 1356 (24) दिनांक 02.05.2000 के द्वारा लीभर प्रत्यारोपण के बाद वहिर्वासी चिकित्सा से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा सरकार द्वारा प्रदत्त है। इस प्रकार राज्य कर्मियों को गंभीर एवं जानलेवा रोगों की बढ़ती संख्या के कारण वहिर्वासी चिकित्सा पर होने वाले अत्यधिक व्यय की कठिन समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

2. ऐसे ही कुछ जानलेवा रोग यथा हेपेटाइटिस 'सी' हेपेटाईटिस-बी, लीभर सिरोसिस, हेमोफिलिया, प्लास्टिक एनिमियाँ, एड्स, कालाजार, लकवा तथा गुर्दा रोग में डायलेसिस आरम्भ होने पर भी वहिर्वासी चिकित्सा अनुमान्य करने के प्रस्ताव एवं चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था।

3. सुविचारण के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि हेपेटाइटिस 'सी' हेपेटाईटिस-बी, लीभर सिरोसिस, हेमोफिलिया, प्लास्टिक एनिमियाँ, एड्स, कालाजार, लकवा के साथ-साथ गुर्दा रोग में डायलेसिस आरम्भ होने पर भी वहिर्वासी चिकित्सा पर होने वाले वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

4. यह तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

आदेश-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए।

ह०/-

(अरविन्द कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-14/एम 2-198/2005/1977 (14) स्वा०, पटना, दिनांक 14.08.2006

प्रतिलिपि-अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि इसकी 2000 प्रतियाँ स्वास्थ्य विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1977 (14) स्वा०, पटना, दिनांक 14.08.2006

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/लोकायुक्त, बिहार पटना/प्रधान सचिव, राज्यपाल, सचिवालय, बिहार/सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सरकार के सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी विभागाध्यक्ष/महानिबंधक उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्राचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/सभी अधीक्षक, राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/सभी क्षेत्री उप निदेशक स्वास्थ्य/सभी असैनियक शल्य चिकित्सक पदाधिकारी/सभी पदाधिकारीगण, स्वास्थ्य एवं प०क० विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि अपने स्तर से इस संकल्प की प्रति अपने अधीनस्थ कार्यालयों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव